

**बिहार सरकार**  
**कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय**  
**गृह विभाग (कारा)।**

प्रेषक,

**आनन्द किशोर,**  
महानिरीक्षक  
कारा एवं सुधार सेवाएँ  
बिहार, पटना।

सेवा में,

**अधीक्षक,**  
मंडल कारा गोपालगंज,  
बेगुसराय, लखीसराय एवं बांका।

पटना, दिनांक-09.2-.....2017।

विषय:- मांग संख्या-22 मुख्यशीर्ष-2056-जेल, उपमुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष-003-प्रशिक्षण, 0002-बंदियों का प्रशिक्षण हेतु, विपत्र कोड-N2056000030002 शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए बंदियों के प्रशिक्षण हेतु व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ मद में ₹75,000 (पचहत्तर हजार रुपये मात्र) अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के पत्रांक-ब17/बी0एस0जी0-18/2016-423/वि0 दिनांक-31.03.2016, एम0-4-09/2014-4572/वि0 दिनांक-03.06.2016 पत्रांक-2561/वि0(2) दिनांक-17.04.98, एवं अधीक्षक, मंडल कारा गोपालगंज, बेगुसराय, लखीसराय एवं बांका से प्राप्त अधियाचना के आलोक में वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु बंदियों के प्रशिक्षण के लिए व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ मद में निम्नांकित रूप से राशि का अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति दी जाती है:-

क्र	कारा का नाम	पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	शब्दों में
1	मंडल कारा बेगुसराय	20,000	15000	35,000	पैंतीस हजार रुपये मात्र
2	मंडल कारा गोपालगंज	20,000	25000	45,000	पैंतालीस हजार रुपये मात्र
3	मंडल कारा लखीसराय	19,000	15000	34,000	चौतीस हजार रुपये मात्र
4	मंडल कारा बांका	19,000	20000	39,000	उनचालीस हजार रुपये मात्र
योग		78,000	75,000	1,53,000	एक लाख तीरपन हजार रुपये मात्र।

2. राशि का व्यय मांग संख्या-22, मुख्य शीर्ष- 2056 जेल, उपमुख्य शीर्ष-00 लघुशीर्ष-003-प्रशिक्षण, उपशीर्ष-0002-बंदियों के प्रशिक्षण हेतु विपत्र कोड-N2056000030002 के अन्तर्गत विकलनीय होगा। राशि की निकासी हेतु मांग संख्या-22, विपत्र कोड संख्या-N2056000030002 तथा कूट सं0 28 01 विपत्र पर अवश्य अंकित किया जाय।

... देवेंद्र राम श्री जयलक्ष्मी अंतारी

राज अन्ति प्रदेह  
उप निरीक्षक, बिहार

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित काराधीक्षक होंगे।

4. आवंटित राशि से अधिक का व्यय एवं इस राशि का दूसरे मद में विचलन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाय।

5. व्यय प्रतिवेदन निश्चित रूप से कारा निरीक्षणालय को उपलब्ध कराया जाय। इस कार्य में शिथिलता बरतने पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी। आवंटित राशि से कितने बंदियों के, किस प्रशिक्षण पर कितनी राशि व्यय किया गया है, इसकी विवरणी निश्चित रूप से अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायी जाय।

विश्वासभाजन

महानिरीक्षक,

चन्द्र देव राम मों. जमाबुद्दीन अंशाटी, कारा एवं सुधार सेवाएँ,  
राजमंडलीय बिहार, पटना।

ज्ञापांक- कारा/बजट (विविध) 07-05/16-101 पटना, दिनांक 09-2-2017।  
प्रतिलिपि:-महालेखाकार बिहार वीर चन्द पटेल, पथ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

महानिरीक्षक,

चन्द्र देव राम मों. जमाबुद्दीन अंशाटी, कारा एवं सुधार सेवाएँ,  
राजमंडलीय बिहार, पटना।

ज्ञापांक- कारा/बजट (विविध) 07-05/16-101 पटना, दिनांक 09-2-2017।  
प्रतिलिपि:-सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, सभी संबंधित जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

महानिरीक्षक,

चन्द्र देव राम मों. जमाबुद्दीन अंशाटी, कारा एवं सुधार सेवाएँ,  
राजमंडलीय बिहार, पटना।

ज्ञापांक- कारा/बजट (विविध) 07-05/16-101 पटना, दिनांक 09-2-2017।  
प्रतिलिपि:-सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

महानिरीक्षक,

चन्द्र देव राम मों. जमाबुद्दीन अंशाटी, कारा एवं सुधार सेवाएँ,  
राजमंडलीय बिहार, पटना।